ORIGINAL RESEARCH PAPER

Law

कोविड-19 के बाद भारतीय अर्थव्यवस्थाको आत्मनिर्भर बनाना नागरिकोंका नैतिककर्तव्य

KEY WORDS: कोविड-19वायरस, अर्थव्यवस्था, आत्मनिर्भर, नैतिककर्तव्यो

Dr. Rajesh Murlibhai Dave

LL.M., Ph.D. Assistant Professor & Head, Department of Human Rights & International Humanitarian Laws, Saurashtra University, Rajkot – 360005.

ABSTRACT

कौविंद १९ वायरस महामारी ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है।दुनिया के तथाकथित विकसित देशोमेभीकोरोनावायरसकाबहुत बुरा प्रभाव पड़ा है।दुनिया के ज्यादातर देश इस संक्रामक वायरस से परेशान हैं।वायरस का कमप्रभावरहेओरबहुत अधिक न फैलने के लिए, दुनिया के अधिकांश देशों ने अपने प्रयासों के तहत लोकदावुन का सहारा लिया,जिससे मानव जीवन का नुकसान कम होता है, लेकिन वैश्विक अर्थव्यवस्था पर उनका सीधा प्रभाव बहुत बड़ा है।सामान्य तौर पर, जब वैश्विक अर्थव्यवस्था में मंदी होती है, तो कोई भी देश मंदी से नहीं बच सकता, इस वैश्विक आर्थिक मंदी का असर हमारे देश में भी महसूस किया जाएगा।यह कहा जा सकता है कि सरकार ने बहुत बड़े लोगों की जान बचाने के लिए देश में पूर्ण लॉकडाउन अपनाकर भारत में कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए एक सकारात्मक कदम उठाया था, एकलोकतांत्रिक देशमें सरकार जनता के संरक्षक के समान होतीहै जो राष्ट्रीय संकटकी स्थिति में जनताकी रक्षा के लिए माता पिताकी तरह कार्य करते हैं। राष्ट्रके संकटका सामना करने के लिए, नागरिकोंकोभी बाहरी व्यवहारको स्थितिके अनुकूल रखते हुए राष्ट्रके प्रतिनैतिककर्त व्यका पालन करना चाहिए।हमारे देश में कोरोना वायरस का वाणिज्य और देश की अर्थव्यवस्था के साथ-साथ आर्थिक तंगी और मंदी पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा, लेकिन देश की अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना सभी नागरिकों की साझा जिम्मेदारी है।

परिचय (Introduction) :-

राष्ट्र में प्राकृतिक संकट के दौरान एकजुट होकर ऐसी स्थिति से निपटने के लिए प्रत्येक नागरिक की सामाजिक जिम्मेदारी है।राष्ट्र के संकट की स्थिति में नागरिकों के नैतिक मूल्यों की सीमा को जाना जा सकता है, राष्ट्रहित और लोगों के कल्याण के लिएराष्ट्र द्वारा स्थापितनीति नियमों का पालन करना लोगों का नैतिक कर्तव्य है।

कोरोना वायरस से हुए आर्थिक नुकसान की भरपाई करना हमारे देश के हर नागरिको का कर्तव्य है।औद्योगिक एवं व्यापारिक नीतियों को भूलकर राष्ट्र की प्रत्येक छोटी-बड़ी इकाई को सकारात्मक समन्वय के द्वारा राष्ट्रहित की रक्षा करनी चाहिए। नागरिकों को स्वदेशी के साथ-साथ स्थानीय वस्तुओं का उपयोग करके राष्ट्र के प्रति जिम्मेदार होना चाहिए। औद्योगिक कानूनों और आयकर कानूनों का पालन करते हुए समय पर अपने करों का भुगतान करना सभी नागरिकों की जिम्मेदारी है। यदि प्रत्येक नागरिक राष्ट्रहित कोध्यान में रखते हुए व्यवहार करे तो आर्थिक मंदी का प्रभाव विश्व के अन्य देशों की तरह हमारे देश पर नहीं पड़ेगा।

अनुसंधान पद्धति (Research Methodology) :-

यह शोध पत्र एक सैद्धांतिक शोध पद्धति का उपयोग करके तैयार किया जाएगा जो माध्यमिक जानकारी का उपयोग करकेतैयारहोगा, जिसमें पुस्तकों, करंट अफेयर्स पेपर, साप्ताहिक पत्रिकाओं आदि का उपयोग करते हुए शीर्षक से संबंधित जानकारी प्राप्त होगी।

नागरिकोंकेकर्तव्य:-

भारतकेसंविधानकेभाग-4 (क)मे नागरिकों के मौलिक कर्तव्य दीया गया है। देश के आर्थिक और सामाजिक विकास में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों के नैतिक मूल्य बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारतीय नागरिक के कर्तव्यो 1976 में 42वें संविधान संशोधन से संविधान में भाग -4 (क) मे अनुच्छेद-51 (क)जोड़कर मूल कर्तव्यों को शामिल किया गयाहै।

सामान्य समय में एक आदर्श जीवन जीने के लिए भारत के संविधान में निहित नागरिक के ग्यारहमौलिक कर्तव्य बहुत महत्वपूर्ण हैं, लेकिन देश में संकट की स्थिति के लिए एक बेहतर समाज के निर्माण में नागरिकों के कर्तव्यो काएक महान योगदान कहा जा सकता है।कोरोना वायरस ने पूरे मानव जीवन को प्रभावित किया है, जिससे व्यापार, रोजगार और वाणिज्य का बहुत नुकसान हुआ है,जिससे देश की पूरी अर्थव्यवस्था मे बहोत बुरी असर हुई है ओर अर्थव्यवस्था में मंदी का माहौल बनगया है।ऐसी स्थिति से निपटने और आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था बनाने के लिएभारतीय संविधान में दिए गए मूल कर्तव्यों का पालन करकेहर नागरिकों सहयोग कर सकता है।भारतीय संविधान में दिए गए ग्यारह मौलिक कर्तव्यो भारतीय राष्ट्र की आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था के निर्माण के लिए कैसे उपयोगी होते हैं वो आगे विस्तृतनिम्नलिखित है ।

कोविड १९ के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना नागरिकों का नैतिक कर्तव्य

कोरोना वायरस के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने के लिए नागरिक निम्नलिखित कर्तव्यों का पालन करते हुए एक आत्मनिर्भर राष्ट्र के निर्माण में भाग ले सकते हैं।

- औद्योगिक क्षेत्र के कानूनों, आयकर कानूनों के साथ-साथ वाणिज्यिक क्षेत्र में विभिन्न कानूनों को पूरी तरह से लागू करके नागरिक संविधान के प्रति वफादार होने के पवित्र कर्तव्य को पूरा कर सकते हैं।
- छोटी और बड़ी औद्योगिक इकाइयां प्रतिस्पर्धा के साथ-साथ कूटनीति को भूलकर और सकारात्मक समन्वय के साथ-साथ स्वदेशी और स्थानीय वस्तुओं का उपयोग करके राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले महान आदर्शों का सम्मान करके मौलिककर्तव्यों का पालन कर सकती हैं।
- विदेशी प्रतिभूतियों के बजायसरकारी संस्थाएं ओरसार्वजनिक सेवा संगठनों में नागरिकों वित्त (पैसा) निवेश करकेभारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा कर सकते हैं।
- कोरोना जैसी प्राकृतिक आपदा के साथ-साथ अन्य आपात स्थितियों में नागरिकों द्वारा सरकार के साथ-साथ स्थानीय प्रशासन का समर्थन करके राष्ट्रीय सेवा करना।

- वाणिज्यिक लेनदेन के साथ-साथ नागरिकों के जीवन की आवश्यकताओं के लेनदेन मेंधार्मिक, भाषाई, क्षेत्रीय, सांप्रदायिक भेदभाव के बिना किया जाना चाहिए।
- देशकी संस्कृतिको नुकसान पहुंचानेवाली सेवाओं या सामानोंका उत्पादन ओर बिक्री नहीं करनी चाहिए।
- औद्योगिक इकाइयाँ और देश के सभी नागरिकोकोप्राकृतिक संसाधनों के साथ-साथ पर्यावरण की रक्षा करना।
- उत्पादन और बिक्री के पुराने तरीकों के बजाय नई तकनीकों का उपयोग करना।
- सार्वजनिक सेवा संगठनों की रक्षा करना।
- अपने क्षेत्र में पर्याप्त ईमानदारी और प्रामाणिकताके साथ सिध्धिहासिल करना नागरिकों का पवित्र कर्तव्य है।
- निजी शिक्षा के क्षेत्र में वित्तीय मामलों को प्राथमिकताकम देकर विद्यार्थियों को शिक्षित करना।

यदि नागरिकों द्वारा कोरोना वायरस के बाद देश को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए उपरोक्त कर्तव्यों का पालन किया जाता है, तो स्थिति जल्द ही सामान्य हो जाएगीओरआत्मनिर्भर भारत के संकल्प को पूरा करने में हर नागरिकसहयोग कर सकता है।

सुझाव (Suggestions) :-

- औद्योगिकइकाइयों को स्थानीय स्तर पर जरूरतमंद व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराना चाहिए।
- स्थानीय छोटे व्यापारी और छोटे कारीगरजिसको आर्थिक जरूरत ज्यादाहेउसकेपाससेनागरिकोंकोसेवाओं और सामान खरीदनाचाहिए।
- ऋण देने वाली संस्थाओं कोआवास उद्योग और छोटी औद्योगिक इकाइयों कोवित्त (पैसा) उधारदेनेकाआग्रह रखनाचाहिए।
- नागरिकों को स्वदेशी और स्थानीय सेवाओं और उत्पादक वस्तुओं को प्राथमिकता देनी चाहिए।
- नागरिकों को समय पर सरकारी करों का भुगतान करना चाहिए।
- वैज्ञानिकों, डॉक्टरों जैसे बुद्धिमान नागरिकों को वित्तीय मूल्य पर विचार किए बिना विदेश के बजाय देश में सेवा करने या काम करने पर जोर देना चाहिए।

निष्कर्ष (Conclusion)

संविधान में दिएगएमूल कर्तव्य नागरिकों को एक आदर्शजीवन जीनेकी प्रेरणा देते हैं। मौलिक कर्तव्यों में निहित नैतिक मूल्यनागरिकों को संकट की घड़ी में उनकी जिम्मेदारियों से अवगत कराते हैं। प्रत्येक नागरिक को कोरोना वायरस के आर्थिक प्रभावों से उबरनेका प्रयास करने के लिए मौलिक कर्तव्य उपयोगी हैं। नैतिक कर्तव्यों को लागू करके नागरिक सामाजिक जिम्मेदारी को समझ सकते हैं ताकि हम आर्थिकरूप से आत्मनिर्भर बन सकें।

संदर्भ (REFERENCS)

भारतनोबंधारनियकायदो (Book)

-लेखक प्रा. दोलतभाई बी.नायक

1. https://blog.mygov.in/we-the-people-we-the-citizen/
2. https://www.orfonline.org/hindi/research/indias-economy-aftermath-of-covid19/
3. https://www.google.com/url?sa= t&source=web&rct= j&url=http://164.100.47. 193/Refinput/New Reference Notes/ Hindi/27012021 152730 1021205239. pdf&ved=2ahUKEwjhobyg-o3z AhW4zD gGHf XwAL g4ChAWegQIGRAB&usg=AOvVaw2TEaRYRJjr-NICVrYE2biP